

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर धोरीमन्ना-बाड़मेर

उमवान: गोमाराम बनाम तुलछाराम

पत्रावली 15/2025

GCMIS NO 2025/34

किस्म मुकदमा:- राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188,40,92-क,207,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गोमाराम पुत्र तुलछाराम जाति खाट निवासी आलमसर खुई घटवार हल्का उदासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		1. तुलछाराम पुत्र उदासर 2. खंहराम पुत्र तुलछाराम जाति खाट निवासी आलमसर खुई घटवार हल्का उदासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 3. राज्य सरकार जरिये उपर्युक्त धोरीमन्ना 4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज आदेशिका (अन्तर्गत धारा -88, 188,40,92-क,207,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)	
28.02.2025	<p>प्रार्थी के वकील श्री रामनिवास विश्णोई ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88,188,40,92-क,207,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 06 व 08 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जो दर्ज होकर दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड एडी से तलब होकर पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी का इंतजार होकर आईन्दा 15.04.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(भागीरथराम) सहायक कलक्टर धोरीमन्ना</p>	
15.4.25	पत्रावली पेश हुई। खादी वकील उप.। पत्रावली वि.पा.बी.जी.पी. की तलबी का इंतजार होकर 9.5.2025 को पेश हो।	
9-5-25	पत्रावली पेश हुई। अज्ञ हम टीम आवश्यक कार्य में व्यस्त है। अतः इलतवा होकर पत्रावली आईन्दा 9.5.2025 को पेश हो।	
27/5/25	पत्रावली खादी मम वकिल के पार्श्व पत्र राजस्व वाद विद्ने करने पर आज पेश हुई। खादी मम वकील रुक पार्श्व पत्र राजस्व वाद विद्ने करने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खादी के राजस्व वाद में गांव के मौजिम लोगो द्वारा	



2025/34

जोमाएण बनाम तुलखापन-

वाडी व अतिवाडी के मध्य आपस में
 राजीनामा हो गया है। उमम पस उषत वाड
 को भागे नहीं चलाना चाहते हैं वाडी
 उषत वाड में कोई कार्यवाही नहीं चाहते
 हैं। वाड को इली स्ट्रेज पर विज्ञो करने
 का निवेदन किया।

अतः वाडी का वाड अन्नी
 तलबी के स्तर पर लोबित है तथा वाडी
 का प्रार्थना-पत्र राजस्व वाड विज्ञो करने
 का स्वीकार किया जाकर राजस्व वाड
 वाड विज्ञो स्वारिज किया जाता है।

पगावली फैलल शुमार होकर दाखिल
 हफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
 SDO धोरीमना